न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14 / 2023 (राजसमन्द डिक्री)

1. रूपसिंह पिता स्वरूपसिंह चदाणा, निवासी कडिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. वरदीसिंह पिता रता चदाणा, निवासी कडिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. छगनसिंह पिता धूलसिंह चदाणा, निवासी कडिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती टमली पिता धूलसिंह चदाणा, निवासी कडिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती गंगलीबाई बेवा धूलसिंह चदाणा, निवासी कडिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. हरिसिंह पिता पन्नासिंह चदाणा, निवासी कडिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती नवलीबाई पत्नी पन्नासिंह चदाणा, निवासी कडिया, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. कैलाश मेवाडा पिता मांगीलाल मेवाडा, निवासी केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. टुली इण्डिया एण्ड रिसोर्ट ए–902, संगानी आदित्य हाईट, नियर कृष्णा बंगला, 3 मोटेरा, अहमदाबाद (गुजरात)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दि. 15.07.2017, प्रकरण संख्या 53 / 2013

———/———

उपस्थित :– 1– श्री लोकेश मेनारिया अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 3

———::———

निर्णय **दिनांक 11–03–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कडिया, तहसील कुम्भलगढ़ में आराजी ... 73, 75 कुल किता 3 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:31 IST
Reason: SelfAttested

2 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 5/8 (1/2 व 1/3) हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 3/8 हिस्सा होकर मौके पर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन मीट्स एण्ड विभाजन नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 18–05–2017 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 15–07–2017 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 25–04–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 15–03–2023 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रकरण तामिल व जवाब में चल रहा था, फिर भी बिना तामिल हुए एवं बिना जवाब के निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलान्टगण को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया तथा बिना पक्षकारान की सहमति के प्रकरण राजस्व न्यायालय में निर्णित कर दिया गया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:31 IST
Reason: SelfAttested

अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई कर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 22–03–2017 को प्रकरण तामीली में था तथा सम्मन पेश हुए या नहीं इसका कोई उल्लेख आदेशिका में नहीं है, जबकि सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत सम्मन तामीली आवश्यक है। जब पत्रावली तामीली स्तर पर थी तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर साक्ष्यों के आधार पर दावे का निस्तारण करना था। आदेशिका दिनांक 22–03–2017 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में दिनांक 24–05–2017 की पेशी नियत की गयी थी, किन्तु पक्षकारों को बिना सूचित किये इससे पूर्व ही दिनांक 18–05–2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा विभाजन में केवल वादी की भूमि को ही अलग रखा गया है, शेष सहखातेदारों का हिस्सा शामलाती रखा गया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05052025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11032025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:31 IST
Reason: SelfAttested